23311455
23317729
Fax. : 23316173

Jamiat Ulama-i-Hind
1-BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI-110 002
E-mail : jamiat@vsnl.com URL : www.jamiatulama.org

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جمعیۃ علماء الہند

देश केप्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने सुप्रीमकोट में एक साथ तीन तलाक, बहुलविवाह, और हलाला संबंधी अपना जवाबी हलफ़नामा दाखिल

नईदिल्ली। 2 दिसम्बर

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ तीन तलाक, बहुल विवाह, तलाक़ और हलाला संबंधी अपना जवाबी हलफ़नामा दाखिल करते हुए स्पष्ट कहा है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के बुनियादी मुद्दे हैं, इसलिए उनमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं हे। जमीयत उलमा ए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी की ओर से यह जवाबी हलफनामा वरिष्ठ वकील शकील अहमद सैयद ने दाखिल किया। हलफनामे में कुरआन व सुन्नत और भारतीय संविधान व अदालतो के फैसलों के आधार पर एक ठोस और मजबूत जवाब दाखिल किया है।

इस हलफ़नामे में विरोधी पक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से उठाए जाने वाले सवालों का भी जवाब दिया है। साथ ही इस बात का भी जवाब दिया है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो शिकायतें की हैं वे कोई नई बात नहीं है।

इस तरह की एतराज़ों का जवाब कानून की रोशनी में खुद सुप्रीम कोर्ट अतीत में अपने फैसलें में दे चुका है कि ऐसी महिलाएं तलाक सम्बंधी विवाद का निपटारा कराने के लिए नियमित सिविल कोर्ट जा सकती हैं। शपथ पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरआन व सुन्नत के आधार पर स्थापित है, जिसकी व्याख्या और कार्यान्वयन विश्वसनीय और प्रामाणिक विद्वानों के माध्यम से काफी अनुसंधान के बाद ही किया है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों द्वारा दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि संविधान के तीसरे अध्याय में जो मौलिक अधिकारों में शामिल है, वह किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ से छेड़ छाड़ करने की अनुमति नहीं देता। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा सिंह बनाम मथोरा अहीर के मामले में कहा है कि कोई भी अदालत, मुस्लिम
पर्सनल लॉ में आधुनिक विचारों को दाखिल नहीं कर सकती बल्कि उसे पर्सनल लॉ के बारे में प्रामाणिक और विश्वसनीय हवालों की रोशनी में ही कानून लागू करना चाहिए, सिवाय उन मामलों में जब कि उसे किसी और रिवाज से बदल न दिया गया हो या कानून के माध्यम से उसे रद्द न कर दिया गया हो। हलफनामे में रस्म व रिवाज और मुस्लिम पर्सनल लॉ में अंतर बताते हुए कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई रीति रिवाज नहीं है, जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित हो बल्कि धर्म विश्वास पर स्थापित है व्यवस्था है। शरीअत एप्लीकेशन अधिनियम 1937 ई बनाने के कारणों और कारकों में यह लिखा है कि तत्कालीन विधि निर्माताओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के गुणों की प्रशंसा की है तथा मुस्लिम महिला संगठनों की यह मांग थी कि उन्हें स्थानीय रीति- रिवाज के बजाए अपने पर्सनल लॉ के अनुसार चलने की

23311455
23317729
Fax. : 23316173

Jamiat Ulama-i-Hind
1-BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI-110 002
E-mail : jamiat@vsnl.com URL : www.jamiatulama.org

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جمعیۃ علماء الہند

अनुमति दी जाए क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं
को अधिक सुरक्षा व सम्मान मिलता है।

जमीयत उलमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने विवादित बना कर पेश किये जाने वाले 'निकाह हलाला' पर अपना यह पक्ष रखा है कि जब तीन तलाक कतई रूप से पड़ जाती हैं जीवन साथी एक दूसरे के लिए तुरंत प्रभाव से वर्जित हो जाते
हैं और वे दोनों अब एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हां अगर वह (महिला) इसके बाद दूसरे आदमी से शादी कर ले और किसी समय वह निकाह भी इस्लामी प्रणाली के अनुसार टूट जाए तब जाकर वह दोबारा से पहले पति से निकाह
कर के उसके साथ रह सकती है। हलफनामे में ने यह स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को दूसरे के मुक़ाबले अधिक स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त है क्योंकि उस पर उसी पति से न तो दोबारा शादी करने का दबाव है और न ही
किसी और से दूसरी शादी का कोई दबाव है। हलफनामे में कहा गया है कि जहां तक एक से अधिक विवाह की बात है तो न यह अनिवार्य है और ना ही उसकी बिना शर्त अनुमति है बल्कि कुरआन ने इसकी सशर्त अनुमति दी है। जमीयत
उलमा ए हिंद ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की विशेषताओं का सुरक्षा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है और उसे खत्म करके जबरी समान नागरिक संहिता लागू करने का विचार संविधान के खिलाफ होगा।

हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद आज यहां मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद पूरी ताक़त से यह मुकदमा लड़ेगी और शरीअत का मजबूती से बचाव करेगी, हालांकि उन्होने लोगों पर इस बात पर भी ज़ोर दिया
कि सब मिल कर मुस्लिम समाज के अंदर भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा जमीयत उलमा ए हिंद यह मानती है कि शादी और तलाक के संबंध में हमारे अन्दर ऐसे रस्म व रिवाज प्रवेश कर गए हैं जो शरीअत इस्लामी के आदेशों के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें उन के खिलाफ जिहाद करना होगा और महिलाओं से इस्लाम के आदेशों के अनुरूप न केवल समान व्यवहार करना होगा बल्कि उनके मान सम्मान के अनुसार व्यवहार करने के लिए आंदोलन करना होगा। इसके बिना दूसरों को हस्तक्षेप से नहीं रोका जा सकता।